न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 186/20 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00186)

दुर्जनसिंह पुत्र श्री गिर्राज जाति माली निवासी मालीपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 19.06.2007 अपील संख्या 18/07 व न्यायालय तहसीलदार भरतपुर आदेश दिनांक 24.02.2007 प्रकरण संख्या 35/07 (अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः–03.10.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 19.06.2007 व तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 24.02.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार भरतपुर ने आदेश दिनांक 24.02.2007 से अपीलान्ट के खिलाफ 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 2046/0.08 है0 किस्म बारानी प्रथम वाकै सेवरकलां पर सम्वत 2063 रबी में जीन्स गेहूं की काश्त किये जाने का अतिकमी पाये जाने पर अतिकमित भूमि से वेदखल कर शास्ती आरोपित करते हुये फसल जब्त कर नीलामी का आदेश पारित किये गये थे। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई। अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2007 पारित करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार भरतपुर का निर्णय यथावत रखा गया। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2007 व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.06.2007 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

3.10.23
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहसीलदार भरतपुर की ओर से अपीलाधीन निर्णय पारित करने में न्यायिक मस्तिस्क का उपयोग नहीं कर पहले से टंकित निर्णय में खाली स्थानों की पूर्ति कर आदेश पारित किया है जो कि न्यायिक दृष्टि से आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज किया है जो कि न्यायिक सिद्धान्त के विपरित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय व तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2046 राजकीय भूमि नहीं होकर राजस्व अभिलेख में बारानी प्रथम अंकित है। जिसे सिवायचक भूमि नहीं माना जा सकता है। इस तथ्य को प्रथम अपीलीय न्यायालय में सरकारी पैरोकार ने भी स्वीकार किया था, परन्तु इस बिन्दु को नजरअंदाज कर अपीलान्ट की अपील को गलत रूप से खारिज किया है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित खसरा नंबर 2046 अपीलान्ट की खातेदारी के साविक खसरा नंबर 1682 व 1683 से भूप्रबंध विभाग द्वारा बनाया गया है। बंदोबस्त विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर खसरा नंबर 2046 की प्रविष्टि अपीलान्ट के हक में नहीं कर राजकीय खाते में नियम विरूद्ध दर्ज की है। इस तथ्य की जानकारी होते ही अपीलान्ट की ओर से दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती किए जाने बाबत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था। जिसमें तहसीलदार के विरूद्ध दिनांक 30.11.2006 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ था। इन तथ्यों पर न तो विचारण न्यायालय तहसीलदार भरतपुर ने और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने गौर किया। दोनों अदालत मातहतों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय की यह फाइन्डिग की सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से कोई स्वत्व अतिक्रमी को प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। सरासर गलत व विधिविरूद्ध हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां स्वामित्व को लेकर नियमित वाद प्रस्तुत किया गया है। वहां विचाराधीन वाद में वर्णित भूमि के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार भरतपुर व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.02.2007 व दिनांक 19.06.2007 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.02.2007 व 19.06.2007 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किया गया है। जिस भूमि के संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। वह भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। उक्त भूमि की किस्म बारानी है। सिवायचक भूमि पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार पूर्ण रूप से सक्षम है। इसी अधिकारिता के तहत तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 24.02.2007 के द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है, जो कि न्यायोचित है। इसी प्रकार अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद दिनांक 19.06.2007 स्पष्ट व स्पीकिंग अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारित की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.02.2007 व 19.06.2007 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा नंबर 2046 रकबा 0.08 है0 किस्म बारानी सिवायचक भूमि पर गेंहू की फसल बोकर अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा किए जाने पर तहसीलदार भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसकी अपीलान्ट की पत्नि को तामील करवाई गई। सुनवाई हेतु नियत दिनांक 24.02.2007 को अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार भरतपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का जवाब पेश किया गया कि विवादित खसरा नंबर 2046 रकबा 0.08 के बाबत एसडीएम भरतपुर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। इसलिए दावे के निर्णय तक कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं होने के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही को नहीं किए जाने का अनुरोध किया गया है। जबाव के साथ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 30.11.2006 के स्थगन आदेश जिसमें दिनांक 18.12.2006 तक विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने का उल्लेख है कि प्रति, नकल मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी आदि की प्रतियां प्रस्तुत की गई। तहसीलदार भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.02.2007 में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस में वर्णित तथ्यों का अंकन करते हुए यह उल्लेख किया है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की बढी हुई प्रति पेश नहीं की गई है व इसके अलावा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। इस आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विवादित खसरा नंबर 2046 रकबा 0.08 है0 किस्म बारानी दोयम के कब्जे से बेदखल करने व लगान की 50 गुना शास्ती आरोपित किए जाने के दण्ड से दण्डित किया है। इस आदेश की पालना में अपीलान्ट को दिनांक 19.03.2007 को विवादित भूमि से बेदखल किए जाने की रिपोर्ट तहसीलदार भरतपुर की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय की पालना अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश किए जाने से पूर्व ही की जा चुकी थी। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिए गए इस तर्क का कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा पूर्व से टंकित निर्णय में खाली स्थान की पूर्ति कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तो उक्त तर्क से हम आंशिक रूप से सहमत हैं, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट की ओर से

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जवाब में वर्णित तथ्यों का पूर्ण उल्लेख किया गया है। इसी निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की बढ़ी हुई प्रति पेश नहीं की गई है। अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 24.02.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील में भी उपरोक्त तथ्यों का ही उल्लेख किया गया। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.06.2007 में यह अभिमत दिया है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विवादित खसरा नंबर में अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट किए जाने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट किए जाने पर नियमानुसार नोटिस दिया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट के द्वारा राजकीय भूमि के बाबत सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन होना स्वीकार किया है। अर्थात् विवादित भूमि राजकीय भूमि है। धारा 91 की कार्यवाही में अतिक्रमी को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से कोई स्वत्व अतिक्रमी को प्रदान नहीं किए जा सकते। इसी आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की है, जो कि उचित है। क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत द्वितीय अपील के साथ भी तहसीलदार भरतपुर व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज के अलावा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में लम्बित वाद में जारी स्थगन आदेश दिनांक 30.11.2006 जो कि दिनांक 18.12.2006 तक प्रभावी था को आगे बढ़ाये जाने अथवा वर्तमान में भी उक्त स्थगन प्रभावी होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड या दस्तावेज अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा भी तहसीलदार भरतपुर के न्यायालय से प्राप्त अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में संलग्न फर्द, नीलामी व बोली दिनांक 19.03.2007 के अनुसार अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल किया जा चुका है। अर्थात् तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.02.2007 की पालना की जा चुकी है। किसी भी निर्णय की पालना किए जाने के बाद निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 24.02.2007 व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.06.2007 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 03.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर